(358)

श्रीमान रा[illegible] [illegible]

[illegible]/[illegible]/मुरैना/भू-रा/2017/2123

R ____ 11/17

प्रभा[illegible] [illegible] जाति ब्राहम्ण निवासी [illegible] निवासी पूढ रोड अम्बाह [illegible] मुरैन[illegible] ....आवेदक

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दि. 7/7/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 7/7/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

[illegible] 7/7/17

[illegible]

1–[illegible] पुत्र [illegible]

2–मुन्नी [illegible] पत्नी [illegible] जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम वि[illegible] हाल निवासी गोपालपुरा मुरैना तह[illegible] जिला मुरैना

3–[illegible] पुत्र सुख[illegible]

4–रामप्रकाश पुत्र [illegible] निवासी विजयगढ हाल निवासी पूढ रोड अम्बाह तह0 अम्बाह जिला मुरैना

5–रामदेवी बेवा शिवना[illegible]

6–रामराज[illegible] पुत्र शिवनारायण

7–श्रीकृष्ण पुत्र शिवनारायण

8–दिनेश पुत्र शिवनारायण

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी सब्जी मण्डी रोड अम्बाह तह0 अम्बाह जिला मुरैना

9–रामदेवी पुत्री प्रभु[illegible] जाति ब्राहम्ण निवासी विजयगढ हाल निवासी मोधना तह0 अटेर जिला भिण्ड

10–[illegible] पुत्र रामप्रकाश

11–[illegible] पुत्र राम[illegible] जाति ब्राहम्ण निवासी [illegible]यगढ हाल निवासी पूढ रोड अम्बाह तह0 अम्बाह जिला मुरैना

12–[illegible] पुत्र देवीदयाल

13–[illegible] पुत्र [illegible]

निवासी विजयगढ तह0 [illegible] जिला मुरैना

[illegible]

14—रानीबती पत्नी राजवीर सिंह जाति ब्राह0 निजयगढ तह0 पोरसा जिला मुरैना

........अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक ../../2017 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार .... पोरसा जिला मुरैना के प्र0क0 25 .... /27 .... प्रतिलि निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1— यह कि ग्राम विजयगढ तहसील पोरसा जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि के आवेदक व अनावेदक सहस्वामी होकर आपसी घरू बटवारे अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है।

2— यह कि अनावेदक गण तहसीलदार महोदय पोरसा के समक्ष उक्त भूमियों के बटबारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्र0क0 25/14 1 .. अ/27 पर पंजीबद्व किया जाकर विचाराधीन है।

3— यह कि आवेदक द्वारा तहसील प्रकरण में एक आवेदन पत्र धारा 32 म0 प्र0 भू0 रा0 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि अनावेदक क0 3 के पिता सुखवासी की मृत्यु दिनांक 21/04/2016 को हो चुकी है तथा देवी .... पुत्र देवलाल व लीलावती की मृत्यु कई वर्ष पूव हो चुकी है। इनके वारिसान को अभिलेख पर लाने हेतु अनावेदक द्वारा समय सीमा में कोई कार्यवाही नहीं की। इस कारण प्रकरण स्वतः ही अबैध हो गया है निरस्तनीय है।

4— यह कि अनावेदक द्वारा आवेदक की आपत्ति के पश्चात एक आवेदन पत्र आ0 22 नि0 4 जा0दी0 का प्रस्तुत किया।

5— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/06/2017 द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र धारा 32 म0प्र0भू0रा0 संहिता का अबैध रूप से निरस्त कर दिया तथा अनावेदक का आवेदन पत्र आ0 22 नि0 4 जा0दी0 का अबैध रूप से स्वीकार कर लिया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी उक्त आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी के आधार—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के विफल होने से निरस्तनीय है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/2123

प्रभाकर विरूद्ध रामऔतार आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील पोरसा, जिला–मुरैना के प्रकरण क्रमांक 25/2014–15/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 06–06–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 11.3.19	